

प्रेषक,

को० को० सिन्हा,
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक ०७ मार्च 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़/अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की प्राकृतिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2011 में लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 बाढ़/अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन कुल धनराशि रु० 75,60,000/- (रुपये पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र) निम्न योजनाओं हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० स०	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)	पूर्व आवंटित धनराशि शासनादेश संख्या 3975 / 1-10-2011 - 33(45) 11/ 27-01-2011	अवमुक्त धनराशि (रु० लाख में) अन्तिम किस्त	जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति	मण्डलीय आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
विभाग: लो० नि० विभाग मुजफ्फरनगर							
1	मोकरहेडी मजलिसपुर तौफिर दल्लावाला मार्ग की मरम्मत	151.20	75.60	75.60	प्राप्त	प्राप्त	मरम्मत
योग		151.20	75.60	75.60			

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक-विपत्ति के कारण

राहत आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2010 में बाढ़/अति वृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स की मद संख्या-18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्यपरिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायेगे।

4. वर्ष 2010-11 में बाढ़/अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त सर्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2011 के मद संख्या-16 में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त स्वीकृति प्रोजेक्ट विलम्बतम 31 मार्च, 2011 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करवा जाए। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि वर्ष 2010 में बाढ़/अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की अनुमन्य श्रेणी की परियोजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आगणन तैयार करायेगे। जनपद स्तर पर अवरस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत रु० 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत रु० 20 लाख से अधिक, परन्तु रु० 1 करोड़ से अधिक हो, तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न जनपदों के लिये शासनदेश संख्या 3253/1-10-2010-12(73)/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक

परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि की धनराशि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा। अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची माननीय जन-प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृति उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई है।

9. बाढ़ के अतिरिक्त यह किसी क्षेत्र विशेष में 150 मी0मी0 वर्षा 24 घण्टे के अंदर रिकार्ड की गई हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स में अति वृष्टि की घटना मानते हुये दैवी आपदा माना जायेगा।

10. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत करया जाय तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृति धनराशि से बाढ़/अति वृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति के कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मास्टररोल, एम0बी0 तथा सम्बन्धित बाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समयोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त कार्यों की निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में किये गये आपदा सम्बन्धी कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर जन सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

13. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन

उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासना को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः अपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की <http://rahat.up.nic.in> वेबसाइट पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उसे शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाय।

15. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध करवा जाय।

16. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या- 8510/1-10-2011-33(38)/2011, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त सहारनपुर मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय।
5. मुख्य कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
8. तकनीकी निदेशक एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राहत वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव